

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
 सं०-३/निदे० (प्रचार-प्रसार)-४२-०९/२०२४-२।

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

अवर सचिव,

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना,

-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।

पटना, दिनांक-११/०५/२०२६

विषय:-वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में राज्य स्कीम मद से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९, संशोधन अधिनियम-२०१५, नियम-१९९५ एवं (संशोधन) नियम-२०१६, अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-२००६ एवं नियम-२००७ तथा विभागीय योजनाओं के प्रावधानों की पुस्तिका का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड़ नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला आदि का आयोजन हेतु कुल ₹१०,००,०००/- (दस लाख रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृतिदेश सं०- दिनांक- के द्वारा कुल ₹१,००,००,०००/- (एक करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृतिदेश के आलोक में निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर व्यय हेतु कुल ₹१०,००,०००/- (दस लाख रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

२-आवंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उप मुख्य शीर्ष-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-००१-निदेशन और प्रशासन-उप शीर्ष-०१०१- निदेशन और प्रशासन-मांग सं०-४४-विषय शीर्ष-०१०१.२६.०१-विज्ञापन और प्रकाशन" विपत्र कोड ४४-२२२५०१०१०१०१ के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

३-आवंटित राशि अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९, संशोधन अधिनियम-२०१५, एवं (संशोधन) नियम-२०१६ तथा अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-२००६ एवं नियम-२००७ के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड़ नाटकों, कार्यशाला का आयोजन तथा पोस्टर/पम्पलेट इत्यादि पर व्यय किया जाएगा।

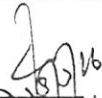
४-इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-२५६१ दिनांक १७-४-९८ एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

५-इस योजना के तहत वित्तीय नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाएगा।

६-इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-३१-०३-२०२७ तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

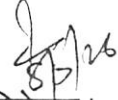
७-इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

विश्वासभाजन


 निदेशक।

ज्ञापांक- 3/निदे0 (प्रचार-प्रसार)-42-09/2024- 2\ दिनांक- 11/05/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सरकार के संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, सचिव कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी-3डी0, 4डी0, 5डी0 एवं 8डी0/ सांख्यिकी शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक।

ज्ञापांक- 3/निदे0 (प्रचार-प्रसार)-42-09/2024- 2\ दिनांक- 11/05/2026

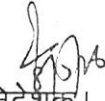
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे0 (प्रचार-प्रसार)-42-09/2024- 2\ दिनांक- 11/05/2026

प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेब साईट (Web site) पर जारी करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक।